Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 03-08-2006

Participants : Rawat Prof. Rasa Singh

>

Title : Need to implement Rangarajan Committee Report immediately to check the black marketing of Kerosene in the Country.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, इस वर्ा के प्रारम्भ में एसीएईआर द्वारा देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन की दुकानों के जरिए हो रही मिट्टी के तेल की धांधली, उसके दुरुपयोग तथा कालाबाजारी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी गई थी। उद्योग चैम्बर 'एशोचैम' ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटित मिट्टी के तेल के एक तिहाई हिस्से की कालाबाजारी हो रही है। इसके चलते भारत सरकार को 11,700 करोड़ रुपये की चपत लग रही है। सरकार मिट्टी के तेल को सस्ते दामों पर बेचने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है, जिसका कुछ भाग बजट में और कुछ भाग कई कंपनियां उठाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार 38.6 प्रतिशत आबंटित केरोसिन की डीजल और पैट्रोलियम में मिलावट की जाती है, 18.1 प्रतिशत गैर घरेलू कार्यों के लिए, 17.9 प्रतिशत मिलावट के काम में और 2.6 प्रतिशत बिना राशन कार्ड वालों को मिलता है। इस गोरख धांधली में राशन की दुकानों के मालिक ही सबसे अहम भूमिका निभाते हैं और वित्त मंत्रालय, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित मंत्रालय के सम्यक प्रायासों के बगैर केरोसिन की बिक्री में हो रही धांधली को रोकना बहुत ही मुश्किल है। अगर लक्षित समूहों तक केरोसिन पहुंच जाता है तो सरकार का बोझ कम हो जाएगा। 1970 दशक के ये आंकड़े हैं और 1970 के दशक की शुरूआत में 32.8 लाख टन केरोसिन की खपत थी। वर्ा 2004-2005 में 94 लाख टन खपत हो गई है और रसोई गैस की खपत 1.8 लाख टन से बढ़कर, साठ गुना अधिक होकर, 102 लाख टन हो गई है जबकि रसोई गैस की खपत में बढ़ोतरी के साथ केरोसिन की मांग कम होनी चाहिए लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। 11,000 टन केरोसिन का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि केरोसिन की कालाबाजारी को रोकने, पैट्रोलियम और डीजल में केरोसिन की मिलावट को रोकने और लक्षित समूहों तक केरोसिन तेल पहुंचने हेतु सख्त कार्रवाई करते हुए उस रिपोर्ट पर भी तुरंत कार्रवाई की जाए।